राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.15(94)नविवि/2022 **जयपुर, दिनांकः यथा हस्ताक्षरित**

संशोधित आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में विचाराधीन एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1832/2022 शिशिर कान्त वार्ष्णेय बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.03.2025 के विरूद्ध विभागीय अपील/नो–अपील समिति की बैठक दिनांक 15.09.2025 में अपील नहीं करने का निर्णय लिया गया।

माननीय राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.03.2025 का सार निम्नानुसार हैः–

The respondents shall forthwith issue the rectified seniority list and consider the petitioner's case for promotion to the post of Executive Engineer in accordance with law. The cost is however, quantified moderately as Rs.5,000/-.The same shall be paid by the State to the petitioner along with his salary for the month of May, 2025. Stay application also stands disposed of.

माननीय राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.03.2025 की अनुपालना में इस विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) डिग्रीधारी की वरिष्ठता सूची आदेश क्रमांक प0 4(26)नविवि/।।/2020 दिनांक 10.08.2020 में क्रम संख्या 20 पर अंकित श्री शिशिरकान्त वार्ष्णेय को क्रम संख्या 09 पर अंकित श्री विनित कुमार सक्सैना के नीचे एवं क्रम संख्या 10 पर अंकित श्री अनीत माथुर के ऊपर अर्थात क्रम संख्या 09–ए पर प्रतिस्थापित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राकेश कुमार–।)
शासन उप सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री शिशिर कान्त वार्ष्णेय, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.10.22 06:25:39 IST
Reason: Approved

शासन उप सचिव–तृतीय

RajKaj Ref No.: 18440305